राजेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा दिनांक-18.04.2026 को मधेपुरा समाहरणालय कार्यालय का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणीः-

---

आज दिनांक-18.04.2026 को पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समाहरणालय मधेपुरा के विभिन्न कार्यालयों एवं प्रशाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री अभिषेक रंजन, जिला पदाधिकारी, श्री अनिल बसाक, उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा अन्य पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।

1. सामान्य शाखाः-

- सर्वप्रथम जिला सामान्य शाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में प्रधान लिपिक एवं अन्य सभी कर्मी उपस्थित थे। निरीक्षण के क्रम में आगत/निर्गत पंजी की जाँच की गयी जिसमें यह पाया गया कि वर्ष 2024 के निर्गत पंजी में काफी संख्या में निर्गत संख्या (460-2, 462-2, 469-2, 451-2 आदि) छोड़ कर रखा गया है। जो अभी भी खाली है। तथा इस संबंध में श्री रविन्द्र कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक के द्वारा बताया गया कि तत्कालीन प्रधान लिपिक के कहने पर निर्गत संख्या को छोड़ा गया है। कार्यालय में इस तरह का कार्य स्वीकार्य नहीं है। इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि आगत/निर्गत पंजी का विधिवत संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।
- उक्त कार्य में लापरवाही के लिए श्री रविन्द्र कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक, मधेपुरा को भविष्य में इस तरह के कृत की पुनरावृत्ति नहीं करने तथा अपने कार्य के प्रति सचेष्ट रहने का आदेश दिया जाता है। साथ ही स्थापना उप समार्हत्ता, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि इस आदेश को इनके सेवा पुस्तिका में संधारित किया जाय।
- चौकीदार के अनुकम्पा नियुक्ति के कुल एक मामला लंबित है। इसे शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। चौकीदार के ACP/MACP के 120 मामले काफी अधिक दिनों से लंबित है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि 01 माह के अंदर उपरोक्त सभी मामले का निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।
- मानवाधिकार आयोग से संबंधित लंबित मामलों का प्रतिवेदन एवं कार्यालय में संधारित मानवाधिकार पंजी में अंकित आकड़ा/तथ्य में भिन्नता पायी गयी। प्रतिवेदन के अनुसार 41 प्राप्त मामलों में से 03 का निष्पादन हो चुका है। अर्थात 38 मामले लंबित हैं। जबकि पंजी में कुल 43 मामले अंकित पाये गये। पंजी दिनांक-03.9.2025 से संधारित है। इसके पूर्व के मामलों के संबंध में प्रधान लिपिक तथा प्रभारी पदाधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट नहीं किया जा सका। अतः प्रभारी पदाधिकारी को इस संबंध में स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया जाता है।
- चरित्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन पंजी का अवलोकन किया। जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि वर्ष 2023 के 17 मामले, वर्ष 2024 के 10 मामले, वर्ष 2025 के 42 मामले तथा वर्ष 2026 के 33 मामले लंबित है। सत्यापन कार्य का 3 माह से अधिक समय तक लंबित रहना यथोचित स्थिति नहीं है। इस संबंध में प्रभारी पदाधिकारी कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके।

अतः प्रभारी पदाधिकारी को स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया जाता है। साथ ही सभी लंबित मामलों को अभियान चलाकर 01 माह के अंदर निष्पादित करने का निदेश दिया जाता है।

2. **आपूर्ति शाखाः-**

- जिला आपूर्ति कार्यालय के निरीक्षण में यह बताया गया कि जिला अंतर्गत PDS दुकानों का स्वीकृत संख्या-1031 है जिसमें से सम्प्रति 84 रिक्त है। विदित हो कि विगत वर्ष 2025 में PDS दुकानों के रिक्ति के विरूद्ध चयन हेतु जिला स्तर से विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। किन्तु बाद में प्राप्त शिकायतों के आलोक में समीक्षोपरांत पाया गया कि उक्त रोस्टर में संगत विभागीय अनुदेशों का उल्लंघन हुआ है। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रधान लिपिक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। प्रधान लिपिक द्वारा बताया गया कि वस्तुतः अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से भेजे गये रोस्टर को जिला स्तर से अनुमोदित किया गया। उक्त रोस्टर की जाँच जिला आपूर्ति शाखा के स्तर से क्यों नहीं की गयी, इस संबंध में संबंधित कर्मी/पदाधिकारी द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सका। यह जिला आपूर्ति शाखा का कार्य के प्रति गंभीरता के अभाव का परिचायक है। जिससे महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर कठिनाई आती है।

  जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा पूर्व में पंचायत-वार PDS दुकानों की अनुज्ञप्ति हेतु आयोजित बैठक में चयनित लाभार्थियों के संबंध में काफी शिकायतें वर्तमान में भी लंबित है। इस संबंध में कतिपय संचिकाओं का अवलोकन किया गया। यह विदित हुआ कि कई मामलों में जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा संगत विभागीय प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए चयन की कार्रवाई की गयी है। इस संबंध में परिवाद प्राप्त होने तथा सभी संगत कागजात संचिका में रहने के बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया जाना गलत प्रवृत्ति है तथा इससे Affected लोगों में गलत छवि बनती है।

  Overall निरीक्षण के क्रम में जिला आपूर्ति शाखा के प्रधान लिपिक श्री संजीव कुमार का कार्यकलाप सही नहीं पाया गया। इस संबंध में श्री संजीव कुमार को निदेश दिया जाता है कि कार्य में घोर लापरवाही/कदाचार के लिए एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय। साथ ही जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि प्रधान लिपिक, जिला आपूर्ति शाखा को तत्काल प्रभाव से किसी प्रखंड/अंचल कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए इनके जगह पर किसी सुयोग्य, कर्मठ, ईमानदार कर्मी को कार्यभारित किया जाय।

  जिला आपूर्ति शाखा के उपरोक्त गलत कार्यकलाप के संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 02 सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करावें।

  साथ ही जिला पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि 15 दिनों के अंदर अभियान चलाकर उक्त सभी शिकायतों का निपटारा करते हुए अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें। पूर्व में जिला स्तरीय चयन समिति के स्तर से PDS लाईसेंस चयन में परिलक्षित विभागीय नियम के

उल्लंघन के मामलों के सुधार हेतु जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आयोजित करते हुए ऐसे सभी मामलों को विनिश्चित करें तथा अनुमोदन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करावें। ताकि इस संबंध में काफी संख्या में लंबित परिवादों का विधिसम्मत निपटारा हो सके।

निरीक्षण के क्रम में यह बताया गया कि परिवादों की जांच जिला गोपनीय शाखा से की जाती है। यह उचित स्थिति नहीं है। जिला पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि जिला अपूर्ति शाखा के माध्यम से ही आपूर्ति संबंधी कार्यों का निष्पादन कराया जाय।

3. <u>पंचायत शाखाः-</u>

- निरीक्षण के क्रम में श्री नंद किशोर सिंह, नि.व.लि., संविदा को तम्बाकु खाते हुए पाया गया। उक्त अनुशासनहीनता के लिए जिला पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से इनकी संविदा सेवा समाप्त करने का निदेश दिया जाता है।
- निरीक्षण के क्रम में जिला पंचायत शाखा का कार्य संतोषप्रद पाया गया। संचिकाओं का रख-रखाव यथोचित पाया गया। जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों के अनुपालन से संबंधित कुल 02 मामले लंबित हैं।

1. वाद संख्या–77/2023, ललिता देवी बनाम कंचन देवी के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के ज्ञापांक–3819, दिनांक–14.10.2024 के द्वारा तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं संबंधित हल्का कर्मचारी के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश प्राप्त है।
2. वाद संख्या–49/2022, सोनी कुमारी बनाम जीवनलता देवी के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के ज्ञापांक–4365, दिनांक–17.12.2024 के द्वारा श्रीमती जीवनलता देवी को अवैध/गलत जाति प्रमाण पत्रा निर्गत करने हेतु दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ करने का निदेश प्राप्त है।

समीक्षा में यह पाया गया कि लगभग 16-18 माह का विलंब होने के उपरांत भी अबतक अनुपालन नहीं हुआ है। जो खेदजनक स्थिति है। जिला पदाधिकारी को उपरोक्त दोनों मामलो में एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाता है।

- निरीक्षण में यह बताया गया कि जिला अन्तर्गत 92 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है तथा 55 का निर्माण कार्य चल रहा है। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि 12 मामलों में निम्नांकित मुख्य कारणों से कार्य रूका हुआ हैः-

I- स्थल परिवर्तन (बेहरारी एवं बराही)

II- कोर्ट केस

III- प्राक्कलन प्रक्रियाधीन/तकनीकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन/प्रशासनिक स्वीकृति

IV- नई जमीन चिन्हित (मधुबन)

V- धार्मिक न्याय परिषद, पटना से अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रक्रिया में

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को उपरोक्त मामलों में अवरोध से संबंधित कारणों का समाधान के प्रयास का निदेश दिया जाता है। साथ ही यह निदेशित किया जाता है कि प्रक्रियाधीन पंचायत सरकार भवन का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर उचित गुणवत्ता के अनुसार कराया

जाय। इस हेतु समय समय पर वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से निर्माण कार्य के गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित कराया जाय।

- यह सामान्य शिकायत है कि नव-निर्मित पंचायत सरकार भवन में सभी कर्मी नियमित रूप से उपस्थित रह कर कार्य नहीं करते है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि समय-समय पर औचक निरीक्षण कराते हुए उपरोक्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि स्थानीय जनता को पंचायत सरकार भवन में सारी सुविधाएँ प्राप्त हो सके।

4. <u>विधि शाखाः-</u>

- जिला विधि शाखा के प्रभारी पदाधिकारी मो0 फैजान सरवर, बि.प्र.से. है। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जिलान्तर्गत MJC के कुल-11 मामलें लंबित हैं। जिसका ब्यौरा निम्नानुसार हैः-

क्र0	MJC वाद की संख्या	अनुपालन हेतु संबंधित पदाधिकारी/कार्यालय	कारण पृच्छा दायर(हाँ/नही)
1	MJC 4286/2024	स्थापना उप-समाहर्ता, मधेपुरा	नहीं
2	MJC .../2025	प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा, मधेपुरा	नहीं
3	MJC 867/2025	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	नहीं
4	MJC 3928/2024	अंचल अधिकारी, मूरलीगंज	नहीं
5	MJC 1986/2025	प्रखंड विकास पदाधिकारी, कुमारखंड	नहीं
6	MJC 2343/2021	अंचल अधिकारी, आलमनगर	नहीं
7	MJC .../2025	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	नहीं
8	MJC .../2025	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	नहीं
9	MJC .../2026	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा	नहीं
10	MJC .../2026	कार्यपालक पदाधिकारी, भवन प्रमंडल, मधेपुरा	नहीं
11	MJC .../2026	जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा	नहीं

MJC के संचिकाओं का अवलोकन किया। यह पाया गया कि कई मामलों में रिट याचिका में पारित आदेश का अनुपालन किये बिना ही कारण पृच्छा दायर करने की कार्रवाई की जा रही है, जो उचित स्थिति नहीं है। जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि जिला स्तर पर सभी MJC वादों की स्वयं समीक्षा करेंगे तथा रिट याचिका में पारित आदेश का

यथोचित एवं नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने के उपरांत ही MJC में कारण पृच्छा दायर करेंगे। तथा सभी MJC में अद्यतन कार्रवाई का प्रतिवेदन 01 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करावें।

- जिला विधि शाखा के अंतर्गत जिला स्तर पर विभिन्न कार्यालयों से संबंधित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लंबित मामलों का प्रतिवेदन संकलित नहीं है। जो विधि शाखा के कार्य के प्रति गंभिरता के अभाव का परिचायक है।

  अतः जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि इस संबंध में आवश्यक समीक्षा करते हुए रिट याचिका में पारित आदेशों का समयवद्ध रूप से सभी पदाधिकारियों से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन 01 सप्ताह में उपलब्ध करावें।

5. <u>भू-अर्जन शाखाः-</u>

- जिला भू-अर्जन कार्यालय के निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि रोकड़ बही अद्यतन संधारण नहीं है। प्रधान लिपिक द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि भू-अर्जन परियोजनाओं की कितनी राशि बैंक खाता में रखा हुआ है।
- निरीक्षण के क्रम में जिला भू-अर्जन कार्यालय के पदाधिकारी/कर्मियों द्वारा 3 माह से अधिक लंबित मुआवजा भुगतान के घोषित Award-wise तथा पंचाटी रैयत-वार विवरणी काफी इंतजार करने के बावजूद भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित नहीं किया गया। जो इनके गलत कार्यकलाप का परिचायक है। सामान्यतः जिला भू-अर्जन कार्यालय, मधेपुरा का यह impression बना हुआ है कि पंचाट निर्माण के बावजूद हितबद्ध रैयतों को मुआवजा भुगतान हेतु पंचाटी रैयतों को काफी मसक्कत एवं अनावश्यक कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। भू-अर्जन कार्यालय के स्तर से हितबद्ध रैयतों को पंचाट निर्गत होने के बाद बिना Appropriate Reason (Title Suit/Court Order) के कागजात नहीं प्रस्तुत करने के नाम पर मुआवजा का भुगतान वर्षो तक लंबित रखा जाता है। जो पूर्णतः अनुचित स्थिति है।
- निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि श्री सुधांशु कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक उपरोक्त विलंब एवं अनियमितता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं। अतः वर्णित स्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री सुधांशु कुमार, निम्न वर्गीय लिपिक को तत्काल प्रभाव से प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया जाता है।
- जिला भू-अर्जन पदाधिकारी एवं श्री रमेश कुमार मुर्मू, उच्च वर्गीय लिपिक, जिला भू-अर्जन शाखा, मधेपुरा को भू-अर्जन शाखा के कार्यो में अप्रत्याशित विलंब, लंबित मामलों का प्रतिवेदन तथा रोकड़ बही संधारण नहीं रहने के संबंध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया जाता है।
- पूर्व निर्धारित निरीक्षण रहने के बावजूद जिला भू-अर्जन कार्यालय के स्तर से 03 माह से अधिक लंबित पंचाट के भुगतान की समेकित कार्रवाई तथा कुल रैयत संबंधित विवरणी उपस्थापित नहीं किया गया। जो इनके कार्य के प्रति घोर लापरवाही है।

अतः इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सख्त निदेश दिया जाता है कि इस मामले में स्वयं समीक्षा करें तथा अद्यतन प्रतिवेदन निम्नांकित विहित प्रपत्र में एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रपत्र-I

क्र0सं0	परियोजना का नाम	Award निर्गत की तिथि	कुल निर्गत पंचाट की संख्या	कितने रैयतों को भुगतान हुआ।	कुल लंबित भुगतान के मामले की संख्या	पंचाट निर्गत होने के 3 माह के उपरांत लंबित भुगतान के मामले की संख्या	अभ्युक्ति

प्रपत्र-II

क्र0सं0	परियोजना का नाम	Award निर्गत की तिथि	कुल निर्गत पंचाट	3 माह के अधिक लंबित पंचाटी रैयत का नाम	पंचाट की राशि	भुगतान नहीं होने का कारण।

6. **स्थापना शाखाः-**

- जिला स्थापना शाखा का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में जिला स्थापना शाखा का कार्य विधिवत पाया गया। कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों का सेवापुस्तिका का अवलोकन किया गया जो अद्यतन संधारित पाया गया।
- जिला स्तर पर लंबित विभागीय कार्यवाही की समीक्षा की गई। निम्नांकित मामले काफी लंबी अवधि से संचालन पदाधिकारी के समक्ष लंबित है।

क्र.	आरोपित पदाधिकारी/कर्मी का नाम एवं पदनाम	आरोप पत्र गठन की तिथि	जांच पदाधिकारी का नाम
1	श्री सागर कुमार, चौकीदार	28.12.2022	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
2	श्री अनील ऋषिदेव, चौकीदार	07.6.2025	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
3	श्री दिनेश पासवान, चौकीदार	30.9.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
4	श्री दिलीप पासवान, चौकीदार	15.3.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा

5	श्री फनक पासवान, चौकीदार	15.3.2021	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा

जिला स्तर पर लंबित विभागीय कार्यवाही के संबंध में महानिदेशक-सह-मुख्य जांच आयुक्त महोदय के निदेश के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाईयों एवं लंबित मामलों के त्वरित एवं सम्यक निष्पादन हेतु दिनांक-30.3.2026 को प्रमंडलीय कार्यालय स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में उपरोक्त लंबित मामलों में प्रथम दृष्टया अनुमंडल पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा अभिरूचि नहीं लेने एवं अप्रत्याशित विलंब का मामला परिलक्षित हुआ। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी, मधेपुरा को अपना स्पष्टीकरण जिला पदाधिकारी के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। जो अबतक अप्राप्त है। आज के निरीक्षण में भी अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त विभागीय कार्यवाही संचालन में हुये अप्रत्याशित विलंब के संबंध में कोई ठोस उत्तर नहीं दिया जा सका। ऐसा परिलक्षित होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को अपने मूल दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता का **Substantial** अभाव है।

अतः उपरोक्त स्थिति में जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित कार्य में लापरवाही/ विभागीय कार्यवाही संचालन में हुये अप्रत्याशित विलंब के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध आरोप-पत्र गठित कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। ताकि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को भेजा जा सके।

7. **राजस्व शाखाः-**

- जिला राजस्व शाखा का विस्तृत निरीक्षण किया गया। अपर समाहर्त्ता की ओर से बताया गया कि सभी सैरातों की बंदोबस्ती हो चुकी है। तथा यह कि बंदोबस्ती की राशि सरकार को प्राप्त हो गया है।
- यह विदित है कि जन समस्याओं में जमीन संबंधी मामले अत्यधिक हैं। जमीन संबंधी परिवादों के निष्पादन की गति जिलाअंतर्गत काफी धीमी है। लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत पारित आदेशों के अनुपालन में भी विलंब दिखता है। अपर समाहर्ता इस संबंध में अंचल-वार लंबित परिवादों तथा कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन ई-मेल के माध्यम से 15 दिनों के अंदर उपलब्ध करावें।
- सरकारी जमीन के अवैध निजी जमाबंदी को रद करने के मामलों की समीक्षा की गई। यह पाया गया कि अभी भी ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अपर समाहर्ता को निदेशित किया जाता है। ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध करते हुए नियमानुसार जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई समयबद्ध रूप से सुनिश्चित की जाय।

8. **लोक शिकायत निवारण :-**

- बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्रमंडलीय आयुक्त प्रथम अपीलीय प्राधिकार होते हैं। ऐसा पाया जा रहा है कि कई मामलों में निदेशित किये जाने के

बावजूद भी जिला स्तरीय पदाधिकरियों के स्तर से त्वरित कार्रवाई ससमय नहीं किया जाता है जिसके कारण परिवाद का समाधान नहीं हो पाता है। इस संबंध में जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पारित Conditional Type-II आदेश का समीक्षा कर लें तथा समयबद्ध तरीके से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करावें।

- अपील वाद पर प्रमंडलीय आयुक्त -सह- प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा पारित अंतिम विनिश्चय/आदेश के आलोक में अनुपालन हेतु लंबित मामलों से संबंधित अद्यतन सूची निम्नवत है:-

क्रमांक	कुल Tpye-II Conditional Order	अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त	अनुपालन प्रतिवदेन अप्राप्त
1	207	174	33

जिला पदाधिकारी इसकी समीक्षा कर लें तथा सभी लंबित 33 मामलों का निष्पादन एक माह के अंदर सुनिश्चित करावें।

- लोक शिकायतों के समीक्षा के क्रम में आयुक्त कार्यालय के संचिका संख्या-13-23/2025 में मो मन्नान (मनीर उर्फ अब्दुल मन्नान) द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध दिये गये परिवाद पत्र की जाँच निरीक्षण के दौरान की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा अभिलेख के साथ उपस्थित हैं। इस मामले में अनमंडल कार्यालय, मधेपुरा के भूमि विवाद वाद संख्या-08/2024-25 (डॉ0 एम0एस0 रहमान उर्फ बाबूल बनाम मो0 मन्नान) में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा का संयुक्त ज्ञापांक-228, दिनांक-13.02.2026 उपस्थिापित किया गया। समीक्षोपरांत यह स्थिति दृष्टिगत है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वितीय अपील वाद 357/2004 में पारित आदेश परिवादी मो0 मन्नान के पक्ष में था। जो उक्त तथ्य संयुक्त आदेश में 02 बार अंकित है। इसके बावजूद अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा के स्तर से इनके विपक्षी डॉ0 एम0एस0 रहमान उर्फ बाबूल के द्वारा दायर परिवाद पत्र के आलोक में भूमि विवाद वाद संख्या-08/2024-25 सांस्थित किया गया तथा अंचल अधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर उक्त आदेश ज्ञापांक-228, दिनांक-13.02.2026 के निष्कर्ष में यह अंकित किया गया है कि "प्रश्नगत जमीन को लेकर उभय पक्षों के बीच चले विवाद में माननीय मुंसिफ न्यायालय, मधेपुरा, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधेपुरा एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा मुखर आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः उस आदेश में किसी प्रकार का परिवर्तन/विखंडित करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है। उपरोक्त के साथ वाद को समाप्त किया जाता है साथ ही उभय पक्षों को सलाह दी जाती है कि वे माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार अपना–अपना हकदार व दखलकार रहेंगे तथा स्थल पर शांति कायम रखेंगे। अंचल अधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत जमीन की जाँच कार्यालय अभिलेख से करते हुए संतुष्ट हो लें कि प्रश्नगत जमीन बिहार सरकार की है। तदनुसार अतिक्रमण वाद संधारित कर अतिक्रमण खाली कराने हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।" उपरोक्त से स्पष्ट होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के स्तर से माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्णित मामले में Interfere किया गया है। जो न

सिर्फ इनके पदीय कदाचार एवं गलत कार्यकलाप का द्योतक है। अपितु इससे माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष सरकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा कोई तथ्यपरक उत्तर नहीं दिया जा सका। उनका मात्र यह कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा भूमी समाधान हेतु कार्रवाई के निदेशों के आलोक में उनके द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। जबकि यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्णित मामले में परिवादी के विपक्षी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त Proceeding draw की गई है। जो Highly Objectionable है। अतः समीक्षोपरांत निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-

1. जिला पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के विरूद्ध विधिवत रूप से आरोप-पत्र गठित कर एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा अपना स्पष्टीकरण पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें कि उनके द्वारा किस परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्णित मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा के साथ संयुक्त रूप से विपक्षी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उक्त Proceeding draw की गई।
3. उप विकास आयुक्त, मधेपुरा के पत्रांक-708, दिनांक-09.04.2026 द्वारा उपरोक्त मामले के संदर्भ में गलत मंतव्य दिया गया है, जो भा.प्र.से. के पदाधिकारी के स्तर से कतई अपेक्षित नहीं है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा इस संबंध में 01 सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा परिवादी के पक्ष में निर्णित मामले में अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा illegal रूप से Interfere करने के संदर्भ में गलत रिपोर्ट क्यों दिया गया।

आज के निरीक्षण में मधेपुरा समाहरणालय स्थित सामान्य शाखा, आपूर्ति शाखा, पंचायत शाखा, विधि शाखा, भू-अर्जन शाखा, स्थापना शाखा, राजस्व शाखा तथा लोक शिकायत निवारण शाखा का विस्तृत निरीक्षण किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होने के बावजूद भी अभी तक काफी लंबित मामले हैं तथा लंबित मामलों का निपटारा नहीं किया गया है। जिला पदाधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि सभी शाखाओं के लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। तदनुसार अगले माह में पुनः पूरक निरीक्षण किया जायेगा।

ह/-
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांकः 2943 / सहरसा, दिनांकः 18.04.2026

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त/अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा/जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, सामान्य शाखा/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा/ प्रभारी पदाधिकारी, स्थापना शाखा/प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

18/4/2026.
आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।